अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 605(अ).— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 5 में संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 (आगे से मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 5 में -

(क) उप-विनियम (6) में -

(i) खण्ड (ख) और (ग) में -

(क) "हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन" शब्दों के लिए, जहां-कहीं वे लिखे गए हों, "हाइड्रोकार्बन स्टील पाइपलाइन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) स्पष्टीकरण में दो जगह पर *"एक वर्ष"* शब्दों के स्थान पर, *"तीन वर्ष"* शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) खण्ड (ड.) में, -

(क) तालिका में कालम (3) के शीर्षक में ब्रैकेट और एस्ट्रिक मार्क को हटाया जाए।

(ख) एस्ट्रिक मार्क (*) सहित पाद टिप्पणी के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, नामत:-

"(i) संयुक्त निवल मूल्य की गणना अनुसूची 'ट' की पद्धति-I, या कंपनी या उसके प्रवर्तक कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनियों की अन्य श्रेणियों के लिए अनुसूची 'ट' की पद्धति-2 में शामिल हों, के अनुसार की जाए।

(ii) लेटर ऑफ कंफर्ट के प्रपत्र में प्रवर्तक की वचनबद्धता में यह कहा गया है कि परियोजना में प्रवर्तक का योगदान परियोजना वित्त-पोषण अनुसूची के अनुसार चरणबद्ध ढंग से शामिल किया जाएगा जिसके साथ आवेदन-सह-बोली दस्तावेज में दिया गया प्रपत्र संलग्न होना चाहिए";

(ख) खण्ड (क) में उप-विनियम (7) में निम्नलिखित को अंत में जोड़ा जाएगा, नामत:

"और कंपनी द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और संभाव्यता रिपोर्ट में आवेदन-सह-बोली दस्तावेज में उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा और परिणामस्वरूप आवेदन-सह-बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुसार नियंत्रित प्रशुल्कों (नेटवर्क प्रशुल्क और कंप्रेशन प्रभार) से पूंजी पर न्यूनतम आईआरआर निवेश किया जाएगा। कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय बोली में उद्धरण एफआर में विचारार्थ मूल्यों के आवेदन-सह-बोली दस्तावेज में उल्लिखित अनुसार अनुमेय भिन्नता के अंदर हों"।

(ग) उप-विनियम (8) में "दिनांक" शब्द के स्थान पर "दिनांक और समय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

3. **विनियम 7 में संशोधन**

मूल विनियमों के विनियम 7 में निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएं, नामत:-

"(4) निविदा मूल्यांकन उद्देश्य के लिए नेटवर्क प्रशुल्क और कंप्रेशन प्रभारों पर सामान्य वाहक या ठेका वाहक के क्षेत्राधिकार से छूट हेतु विशिष्ट अवधि के बाद ही विचार किया जाए। इस विशिष्ट अवधि में लिया जाने वाला नेटवर्क प्रशुल्क और कंप्रेशन प्रभार छठे-दसवें वर्ष में उद्धृत मूल्यों या छठे वर्ष के उद्धृत मूल्यों का

90%, जो भी कम हो, का औसत होगा तथा इसे सांकेतिक उद्देश्य के लिए वित्तीय बोली में भी दर्शाया जाएगा"।

4. विनियम 10 में संशोधन

उप-विनियम (1) के लिए मूल विनियमों के विनियम 10 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, नामत: :-

"(i) चयनित कंपनी को निविदा को अंतिम रूप दिए जाने पर प्राधिकार प्रदान करने हेतु एक आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा। कंपनी को एलओआई के जारी होने के 15 दिनों के अंदर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी और बोर्ड द्वारा निर्देशित अनुसार ऐसी अन्य औपारिकताएं पूरी करनी होंगी। निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद चयनित कंपनी को अनुसूची 'घ' प्रपत्र में प्राधिकार प्रदान किया जाएगा।"

5. विनियम 11 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 11 में,

(क) उप-विनियम (1) में,-

(i) "सुनिश्चित प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौता" शब्दों के बाद "या प्राकृतिक गैस उत्पादक/विपणनकर्ता सहित आपूर्ति के लिए गैस आपूर्ति समझौता के शीर्ष (एचओए/समझौता ज्ञापन (एमओयू)" शब्दों को जोड़ा जाए,

(ii) "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ बीस दिन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) उप-विनियम (3) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामत: :-

"(3) प्राधिकृत कंपनी प्राधिकरण प्रदान किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि में सुनिश्चित प्राकृतिक गैस आपूर्ति समझौते सहित किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से वित्तीय समापन प्राप्त करेगा।";

(ग) उप-विनियम (4) में, -

(i) "एक सौ बीस दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ अस्सी दिन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;

(ii) परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, नामतः-

"आगे यह भी कि वित्तीय समापन का अर्थ सीजीडी परियोजना के पहले चरण के लिए निधियां उपलब्ध कराने या जुटाने हेतु इक्विटी धारकों और ऋण वित्त-पोषकों की कानूनी रूप से बाध्य वचनबद्धता से है जो सीजीडी नेटवर्क के पहले पाँच वर्षों के लिए खर्च की जाने वाली परियोजना लागत का नब्बे प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए"।

6. **विनियम 12 में प्रावधान**

मूल विनियमों के विनियम 12 में निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाए, नामतः-

"बशर्ते कि विनिर्दिष्ट पारेषण पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस का प्रवाह सूचित किए गए अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख में यदि तीन माह की अवधि से अधिक की देरी हो जाती है और यह सीजीडी नेटवर्क द्वारा गैस लेने की तारीख के भी बाद हो, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया के जरिए चयनित प्राधिकृत सीजीडी कंपनी की कोई गलती न हो, तो बोर्ड ऐसे विलंब के कारणों का आकलन करने के बाद प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत पारेषण पाइपलाइन में वास्तविक और अनुसूचित प्राकृतिक गैस में अंतर की संबंधित अवधि या जब से सीजीडी नेटवर्क गैस लेने के लिए तैयार हो, जो भी कम हो, सामान्य वाहक या ठेका वाहक के क्षेत्राधिकार से छूट हेतु विशिष्ट अवधि को बढ़ा सकता है। ऐसे मामले में बोर्ड द्वारा इंच-कि.मी. तथा घरेलू कनेक्शन और नेटवर्क प्रशुल्क और कंप्रेशन प्रभारों को लगाने की अनुसूची में भी तदनुसार परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा, विनिर्दिष्ट अनुसार सीजीडी नेटवर्क को बिछाने, निर्माण या विस्तार करने की विशिष्ट अवधि को भी उसी अवधि तक बढ़ाया जाएगा। प्रतिबद्ध लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के उद्देश्य से यह प्रभावित वर्षों के लिए यथा अनुपात होगा"।

7. **विनियम 16 में संशोधन**

विनियम 16 के उप-विनियम (1) में खण्ड (ग) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, नामतः-

"उपचारी कार्रवाई करने में असफल रहने पर बोर्ड इंच-कि.मी. और/या घरेलू कनेक्शनों के लक्ष्यों को पूरा करने में प्रतिशत कमी के बराबर इक्विटी निष्पादन बांड को भुना सकता है। बशर्ते कि यदि कंपनी सामान्य वाहक या ठेका वाहक के क्षेत्राधिकार से छूट के लिए विशिष्ट अवधि के समाप्त होने पर संचयी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेती है तो भुनाए गए

मूल्य की राशि को लौटा दिया जाएगा। इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अन्य निबंधन एवं शर्तों का पालन करने में असफल रहने पर निष्पादन बांड को निम्नानुसार भुनाया जाएगा:

(i) पहली चूक के लिए निष्पादन बांड की 25% राशि; और

(ii) दूसरी चूक के लिए निष्पादन बांड की 50% राशि।

बशर्ते कि कंपनी बांड राशि भुनाए जाने के दो सप्ताह के अंदर उपर्युक्त प्रत्येक मामले में भुनाए गए निष्पादन बांड की राशि को पूरा करेगा, ऐसा न करने पर निष्पादन बांड की बकाया राशि को भी भुना लिया जाएगा और कंपनी के प्राधिकार को रद्द कर दिया जाएगा।

(iii) तीसरी चूक के लिए निष्पादन बांड की 100% राशि तथा इसके साथ-साथ कंपनी के प्राधिकार को रद्द करना"।

8. अनुसूची 'ग' का प्रतिस्थापन

मूल विनियमों के अनुसूची ग के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, नामत:

"अनुसूची ग

[विनियम 5(7) देखें]

सीजीडी नेटवर्क के प्राधिकार के लिए आवेदन-सह-बोली

सेवा में,

सचिव,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड
प्रथम तल, विश्व व्यापार केन्द्र,
बाबर लेन, क्नॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110 001

विषय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनी को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के अंतर्गत.....................राज्य या संघ शासित क्षेत्र के...............................प्रस्तावित भौगोलिक क्षेत्र में नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के प्राधिकार देने हेतु आवेदन-सह-बोली

(जहां आवश्यक हो सूचना प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त शीट संलग्न करें)

भाग-1 - कंपनी का सामान्य विवरण और परियोजना का तकनीकी विवरण (विधिवत चिह्नित, मोहरबंद और एक अतिरिक्त लिफाफे में प्रस्तुत किया जाए)		
1.	कंपनी का विवरण	
क.	कंपनी का नाम	
ख.	कंपनी का प्रकार - सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/निजी लिमिटेड कंपनी/भागीदार कंपनी/प्रोप्राइटरशिप फर्म/अन्य (कृपया उल्लेख करें और संस्था के अंतर्नियम या साझेदारी विलेख आदि, जैसा लागू हो, संलग्न करें)।	
ग.	निगमन की तारीख और व्यवसाय शुरू करने की तारीख	
घ.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
ङ.	सभी निदेशकों/भागीदारों/प्रोपराइटर के नाम, पते, दूरभाष संख्या, ई-मेल पते (कृपया एसटीडी कोड और पिन कोड सहित पूरा विवरण दें)।	

2.	कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां	
क	कंपनी के सभी मौजूदा नगर गैस वितरण नेटवर्कों का विवरण, यदि कोई हो, और इसकी संस्थापित क्षमता, अब तक खर्च की गई पूंजी लागत, प्रचालन शुरू करने की स्थिति, विगत 3 वर्षों में नेटवर्क में परिवहन की गई वर्ष-वार गैस मात्रा तथा नामित ग्राहकों का ब्यौरा, मौजूदा सुविधाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला वितरण नेटवर्क मानचित्र तथा भावी योजना और प्राकृतिक गैस कनेक्टिविटी का ब्यौरा हो।	
ख	प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और विपणन के लिए किसी कंपनी के साथ किया गया समझौता या सहयोग का विवरण।	
ग	पिछले पांच वर्षों से प्रवर्तकों द्वारा किए जा रहे अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, का विवरण।	
3.	स्वामित्व और सम्बद्धता का विवरण	
क	प्रवर्तकों का विवरण	
ख	कंपनी की सभी सम्बद्ध संस्थाओं का विवरण, जिसमें कंपनी और सम्बद्ध संस्थाओं के बीच व्यावसायिक रिश्ते को बताया गया हो। ('सम्बद्ध संस्था' का अर्थ सम्बद्ध आचरण संहिता के लिए संगत विनियमों में परिभाषित अनुसार है)।	
ग	कंपनी बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर अपने और अपनी कंपनियों के सभी संबंधित प्रलेखों या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का वचन देती है।	हां/नहीं
घ	क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है?	हां/नहीं
ड.	क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत किसी कंपनी द्वारा प्रोमोट की गई है?	हां/नहीं

च.	यदि संस्था आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करते समय कंपनी नहीं है तो प्राधिकार के लिए उसका चयन होने पर वह कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक कंपनी निर्माण की घोषणा करती है।	हां/नहीं
छ.	प्रोमोटरों का लेटर ऑफ कम्फर्ट के प्रपत्र में वचनबद्धता, जिसमें यह कहा गया हो कि प्राधिकार मिलने की तारीख से तीन महीने के अंदर परियोजना के लिए दिए गए उनके वित्तीय योगदान को इक्विटी शेयर पूंजी में बदल दिया जाएगा। प्रोमोटरों से प्राप्त लैटर आफ कम्फर्ट संलग्न करें।	हां/नहीं
4.	प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क परियोजना का तकनीकी विवरण	
क.	प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क परियोजना का नाम	
ख.	मानचित्र में चार्ज क्षेत्रों और प्रस्तावित सुविधाओं की रूपरेखा सहित भौगोलिक क्षेत्र की सीमा दर्शाएं।	
ग	प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के स्रोत और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के साथ क्षमता समझौता, जिसमें समझौते की चरण-वार कनेक्टिविटी, यदि कोई हो, और विवरण शामिल हो।	
घ	पुष्टि करें कि सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विशिष्टियों के लिए संगत विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार सुरक्षा मानकों सहित सभी लागू तकनीकी मानकों पर विचार किया गया है तथा इनका सीजीडी नेटवर्क का डिजाइन बनाने में अनुपालन किया गया हो?	हां/नहीं
ड	विनियम 5*(6)* के अंतर्गत अप्रतिदेय आवेदन शुल्क	< >रु0
	डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर	
	डिमांड ड्राफ्ट या पे आर्डर की संख्या और दिनांक	
	जारीकर्ता बैंक और शाखा का नाम	

च	बोली बंधपत्र	< >रु0
	डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंक गारंटी	
	डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंक गारंटी की संख्या व दिनांक	
	जारीकर्ता बैंक और शाखा का नाम	

भाग-II: वित्तीय बोली (एक अलग चिहि्नत मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाए) उन्हीं कंपनियों के लिए खोली जाएगी जो विनियम 5*(7)* के अंतर्गत न्यूनतम पात्रता मानदण्ड और स्वीकार्य व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूरा करते हों।		
क	परियोजना की मितव्ययी अवधि (जो प्राधिकार की तारीख से 25 वर्ष के लिए होगी) सीजीडी नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए भारित औसत प्रशुल्क बोली का वर्तमान मूल्य (पीवी)।	परियोजना की मितव्ययी अवधि 14% छूट दर का लाभ रखते हुए प्रतिवर्ष के लिए भारित औसत नेटवर्क प्रशुल्क बोली का वर्तमान मूल्य(पीवी) < __________> रुपए प्रति एमएमबीटीयू है। वर्ष-वार भारित औसत इकाई नेटवर्क टैरिफ बोली:- 6 वर्ष: <...........>रु0 प्रति एमएमबीटीयू 7 वर्ष : <...........>रु0 प्रति एमएमबीटीयू : : 25 वर्ष: <.........> रु0 प्रति एमएमबीटीयू
		1 से 5वें वर्ष तक वर्ष-वार भारित औसत यूनिट नेटवर्क प्रशुल्क केवल सूचना के लिए है (इसका बोली मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा) वर्ष 1: <...........>रु0 प्रति एमएमबीटीयू वर्ष 2: <...........>रु0 प्रति एमएमबीटीयू : : वर्ष 5: <.........> रु0 प्रति एमएमबीटीयू

ख	प्राकृतिक गैस को कंप्रेस करके सीएनजी में बदलने के लिए कंप्रेशन प्रभार बोली का वर्तमान मूल्य (पीवी)। इस गैस की सीजीडी नेटवर्क मितव्ययी अवधि (जो प्राधिकार की तारीख से 25 वर्ष का होगा) सीएनजी स्टेशनों को आपूर्ति की जाएगी।	परियोजना की मितव्यय अवधि का 14% छूट दर का लाभ उठाते हुए प्रति वर्ष के लिए सीएनजी बोली हेतु कंप्रेशन प्रभार का वर्तमान मूल्य <......> रु0 प्रति कि0ग्रा0 है। सीएनजी बोली के लिए वर्ष वार कंप्रेशन प्रभार- 6 वर्ष: <.........> रु0 प्रति कि0ग्रा0 7 वर्ष <.........> रु0 प्रति कि0ग्रा0 : : 25 वर्ष: <.........> रु0 प्रति कि0ग्रा0
		1 से 5वें वर्ष तक कंप्रेशन प्रभार केवल सूचना के लिए है (इसका बोली मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा): 1 वर्ष: <.........> रु0 प्रति कि0ग्रा0 2 वर्ष <.........> रु0 प्रति कि0ग्रा0 5 वर्ष: <.........> रु0 प्रति कि0ग्रा0
ग	सामान्य वाहक या संविदा वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट संबंधी विशिष्ट अवधि के दौरान सीजीडी नेटवर्क में इस्पात पाइपलाइन बोली के इंच-किलोमीटर का वर्तमान मूल्य (पीवी)।	14% छूट दर का लाभ उठाते हुए सीजीडी नेटवर्क में इस्पात पाइपलाइन बोली के इंच-किलोमीटर का वर्तमान मूल्य (पीवी) <इंच-किलोमीटर> है। वर्ष-वार इंच-किलोमीटर बोली - 1 वर्ष: < > इंच-किलोमीटर 2 वर्ष <.........> इंच-किलोमीटर 3 वर्ष : <.........> इंच-किलोमीटर आदि (सामान्य वाहक या ठेका वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट संबंधी प्रत्येक वर्ष की विशिष्ट अवधि)
घ	सीजीडी नेटवर्क में पीएनजी घरेलू ग्राहक बोली की संख्या का वर्तमान मूल्य।	14% छूट का लाभ उठाते हुए पीएनजी घरेलू कनेक्शन बोली संख्या का वर्तमान मूल्य <संख्या> हैं।

		पीएनजी घरेलू कनेक्शन बोली की वर्ष-वार संख्या - 1 वर्ष: < >इंच-किलोमीटर 2 वर्ष < >इंच-किलोमीटर 3 वर्ष: < >इंच-किलोमीटर आदि (सामान्य वाहक या ठेका वाहक के अधिकार क्षेत्र में छूट संबंधी विशिष्ट अवधि का प्रत्येक वर्ष)

<u>घोषणा</u>

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और इस आवेदन-सह-बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट, संलग्नक, अनुलग्नक और गणना शीट में दिए गए आंकड़े और सूचना सही पूर्ण और सत्य हैं, और यदि इनमें दिया गया कोई भी विवरण गलत पाया जाता है तो आवेदन-सह-बोली निरस्त कर दी जाएगी, आवेदन-शुल्क और बोली बंधपत्र जब्त कर लिए जाएंगे और मैं/हम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई और दण्ड के हकदार होंगे।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा केवल एक ही आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत की गई है जो उपर्युक्त है और इस नगर अथवा स्थानीय क्षेत्र के लिए मेरे/हमारे द्वारा अलग से कोई भी दूसरा आवेदन-सह-बोली पत्र न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. हम यह घोषणा करते हैं कि प्राधिकार प्रदान करने के लिए आशय-पत्र के जारी होने पर हम प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क, परियोजना डिजाइन और सीजीडी नेटवर्क की संस्थापित क्षमता के लिए परिकल्पित विकास योजना तथा उसके साथ चरण-वार प्रचालन शुरू करने की अनुमानित तारीख सहित पूंजीगत व्यय योजनाओं का चरणबद्ध ब्यौरा और पीएनजीआरबी के अनुमोदन तथा प्राधिकार प्रदान करने के लिए परियोजना को पूरा करने से संबद्ध कार्यकलापों या लक्ष्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।

4. हम यह भी घोषणा करते हैं कि प्राधिकार प्राप्त होने के बाद हम सीजीडी परियोजना का सभी ब्यौरा जैसे डीएफआर (जिसके आधार पर वित्तीय अनुमोदन लिए गए हैं), परियोजना की सभी तकनीकी विशिष्टियां जिनमें पाइपलाइन डिजाइन, दबाव, नेटवर्क की लंबाई, पाइपलाइन व्यास, पाइपलाइन की मोटाई, मार्ग, अपक्षय सुरक्षा व्यवस्था, नगर द्वार स्टेशन, प्राकृतिक गैस स्रोत, टैप ऑफ प्वाइंट, प्रमुख ब्लॉक वाल्व, पृथक वाल्व,

आपात शटडाउन वाल्व, गंध सुविधाएं, मीटर व्यवस्था, सीएनजी स्टेशन, एचएसई उपाय आदि शामिल हैं, प्रस्तुत करेंगे।

दिनांक :

कंपनी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

स्थान :

मोहर कार्यालय मोहर

<u>आवेदन-सह-बोली भरने के लिए अनुदेश</u>

1. फार्म और संलग्न दस्तावेजों की सभी प्रविष्टियां पठनीय हों और उनमें कोई काट-छांट न की गई हो।

2. अपेक्षित विवरण अलग से संलग्न किए जा सकते हैं जिस मद के लिए इन्हें संलग्न किया गया है उसका स्पष्ट संदर्भ देना चाहिए।

3. आवेदन-सह-बोली और अनुलग्नकों व विवरणों के सभी पृष्ठों पर क्रम संख्या लिखी जानी चाहिए तथा उन पर कंपनी अथवा कंपनी द्वारा नोटेरी के माध्यम से अधिकार पत्र दिए हुए प्राधिकारी के आद्याक्षर किए जाने चाहिए।

4. आवेदन-सह-बोली में दी गई सूचना की अभिपुष्टि करने के लिए आवश्यक प्रमाण संलग्न करने चाहिए।

5. कंपनी को बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुसार सभी संलग्नकों सहित आवेदन-सह-बोली प्रस्तुत करनी चाहिए।

6. अपूर्ण आवेदन-सह-बोली को निरस्त कर दिया जाएगा।

7. सभी उद्धृत आंकड़े धनात्मक संख्या होनी चाहिए।

8. उप-विनियम 5(5) के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत आवेदन-सह-बोली के साथ सभी अनुलग्नक इस तरह से लगाए जाने चाहिए जैसा कि आवेदन-सह-बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अनुसार हों, जो ऐसी बोली की निबंधन एवं शर्तों का विस्तारपूर्वक उललेख करते हों"।

9. **अनुसूची घ में संशोधन**

मूल विनियमों की अनुसूची घ में -

(क) पैरा 8 में "एक सौ बीस दिन" शब्दों के स्थान पर "एक सौ अस्सी दिन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए;